राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ......128/भरत/...... 2007 - 2008

यह प्रमाणित किया जाता है कि

......पारीक सेवा शिक्षा समिति, इन्दरा......

तहसील......नदबई......जिला......भरतपुर......का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से

आज दिनांक......अठारह......माह......दिसम्बर......

सन् दो हजार......सात......को......भरतपुर......

में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें,
भरतपुर (राज.)

पंकज बुक डिपो-224047

कार्यालय उप रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार संस्थाये सहकारी समितियां, भरतपुर(राज०)

क्रमांक :- 323 दिनांक :- 9/9/2020

(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 एवं 4–क के अन्तर्गत)

नोटिस

......पाब्लिक रोज शिक्षा समिति

......द्वारा नदबई।

आपका ध्यान श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक फा.सनिरा/रजि०/मिस/2/59/पार्ट–3 दिनांक 09–04–2012 राजस्थान पत्रिका दिनांक 12–04–2012 में प्रकाशित विज्ञप्ति सार्वजनिक सूचना की ओर आकर्षित कर जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 के अनुसार उक्त अधिनियमान्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक के लिए प्रत्येक वर्ष में एक बार वार्षिक साधारण अधिवेशन की सूचना 14 दिवस के भीतर संस्था के सौंपे गये काम काज के प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो सम्बन्धित पदाधिकारियों के नाम व पते और उपजीविकाएं अंकित हों, की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 4–क के अन्तर्गत धारा 4 मे वर्णित सूची के साथ ही संस्था के सदस्य/पदाधिकारियों एवं विधान/नियमावली में उस वर्ष हुए परिवर्तनों के विवरण संस्था के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित हो भी रजिस्ट्रार संस्थायें को 15 दिवस के भीतर प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 4–ख के अनुसार यदि किसी संस्था का अध्यक्ष, सचिव या अन्य प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो कि अधिनियम की धारा 4 एवं 4–क कीपालना किये जाने के लिए दायित्वाधीन है, उक्त धारा 4 एवं 4–के उपबन्धों के अंतर्गत रजिस्ट्रार संस्थायें को सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह दोष सिद्ध होने पर 500/– रु तक के आर्थिक दण्ड का भागीदार हो सकेगा और ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् प्रति 50/– रु अनधिक आर्थिक दण्ड अधिरोपित किये जाने के भी प्रावधान हैं।

इसी प्रकार उक्त धारा 4–ख की उप धारा 2 के अनुसार यदि कोई संस्था की ओर से सूचनाओं सम्बन्धी विवरण में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है तो 2000/– रु तक के अर्थ दण्ड के लिए दण्डनीय है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप अपनी संस्थ में सम्बन्धित उक्त अधिकनयमान्तर्गत वांछित सूचानएं वर्ष 2018–2019 तक की एवं संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा प्रति वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्तानुसार सूचना प्रस्तुत करना भविष्य में सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिनियम की धारा 4–ग के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह नोटिस आज दिनांक ....09/09/2020.... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें

रजिस्ट्रार संस्थाएँ

भरतपुर (राज०)

रजि0नं0 128/भरत/2007–08

पब्लिक रोज शिक्षा समिति, हन्तरा (नदबई)

तुलनात्मक विवरण पत्र

क्र. स.	विधान की धारा सं0	पंजीकृत विधान नियम	विधान संशोधित नया नियम
1.	3	पूर्व पंजीकृत विधान में अंकित उद्देश्य यथावत रहेंगे।	पूर्व पंजीकृत विधान में अंकित उद्देश्यों के अलावा निम्न लिखित उद्देश्यों को और शामिल किया गया :– 1 नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्पेशल स्कूल खोलना तथा मूक बधिरों, व दिव्यांगों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। 2 कार्यक्षेत्र में विटनरी कॉलेज तथा एग्रीकल्चर कॉलेज संचालित करना।
2	11	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन निम्न अनुसार किया गया है :– 1. अध्यक्ष – एक 2. उपाध्यक्ष – एक 3. मंत्री– एक 4. उपमंत्री – एक 5 कोषाध्यक्ष – एक 6. सदस्य– छैः 7. मनोनीत पदेन सदस्य – चार	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन निम्न अनुसार किया गया है :– 1. अध्यक्ष – एक 2. उपाध्यक्ष – एक 3. मंत्री– एक 4. उपमंत्री – एक 5 कोषाध्यक्ष – एक 6. सदस्य– दस 7. मनोनीत पदेन सदस्य – चार

विधान संशोधन पंजीकृत
दिनांक 09/09/2020
रजिस्ट्रार संस्थाएं
भरतपुर (राज0)

रजिस्ट्रार संस्थाएं भरतपुर (राज0)

प्रेमलता
अध्यक्ष
पब्लिक रोज शिक्षा समिति
हन्तरा (भरतपुर)

Secretary
मंत्री/सचिव
Public Rose Siksha Samiti
Hantra (Bharatpur)

NSingh
कोषाध्यक्ष

रजि0नं0 128/भरत/2007–08

पब्लिक रोज शिक्षा समिति, हन्तरा (नदबई)

साधारण सभा दिनांक 25/6/20 को कार्यकारिणी का निर्वाचन कर निम्न प्रकार नवीन कार्यकारिणी गठन किया गया :–

क्र. सं.	नाम, पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री संतोष चौधरी	अध्यापन	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	अध्यक्ष
2.	श्री घनश्याम सैनी पुत्र श्री मनोहर लाल	प्राई0नौकरी	18/502 लखंडा बाला कूआ अलवर	उपाध्यक्ष
3.	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री द्वारिकाप्रसाद	जीएनएम	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	मंत्री
4.	श्री सत्यजीत सिंह पुत्र श्री नवरत्न सिंह	समाजसेवा	शिवाजी पार्क अलवर	उपमंत्री
5.	श्री नवरत्नसिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मण रावत	प्राई0 नौकरी	5 क 101 शिवाजी पार्क अलवर	कोषाध्यक्ष
6.	श्रीमती राजवती पत्नी श्री सुरेन्द्र गोपालिया	नौकरी	2/255 हा0बो0 जवाहर नगर भरतपुर	सदस्य
7.	श्री गरदन सिंह पुत्र श्री रामखिलाडी	शिक्षाविद्	ब्राह्मण थोक बढा उटारदा नदबई	सदस्य
8.	श्रीमती रजनी पत्नी श्री वलदेव	अध्यापन	राजाखेडा धौलपुर	सदस्य
9.	श्रीमती रिया कुमारी पत्नी श्री कालीचरण	शिक्षाविद्	केसरचिया थोक बढा नदबई, भरतपुर	सदस्य
10	श्री भगवानसिंह कोली पुत्र श्री मनोहरी कोली	कृषिकार्य	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	सदस्य
11	श्रीमती ममता मिश्रा उर्फ ममता शर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार शर्मा	शिक्षाविद्	तांबे की [illegible]री करौली राज0	सदस्य
12	किरनदेई पत्नी श्री नारायन सिंह	समाजसेवा	ग्रा0 अरौंदा हन्तरा तह0 नदबई भरतपुर	सदस्य
13	सितारा वानो पत्नी श्री ईशव खान	गृहणी	ग्रा0 अरौदा हन्तरा तह0 नदबई भरतपुर	सदस्य
14	खेमसिंह पुत्र श्री हरिसिंह	शिक्षाविद्	मीना कॉलोनी मुखेना भूतोली वैर, भरतपुर	सदस्य
15	नेहा पुत्री जगमाल सिंह	अध्यापन	शिवाजी पार्क अलवर	सदस्य
16	छात्र प्रतिनिधि मनोनीत पदेन			सदस्य
17	अभिभावक प्रतिनिधि मनोनीत पदेन			सदस्य
18	स्टाफ प्रतिनिधि मनोनीत पदेन			सदस्य
19	शिक्षा/उच्च शिक्षा विभागीय प्रतिनिधि मनोनीत पदेन			सदस्य

राजस्थान [illegible] अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के तहत संस्था पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर नवीन कार्यकारिणी की सूची [illegible] की गई।

[illegible]
रजिस्ट्रार संस्थाएं,
भरतपुर (राज0)

[illegible]
हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी

प्रेमलता
अध्यक्ष
अध्यक्ष
पब्लिक रोज शिक्षा समिति
हन्तरा (भरतपुर)

[illegible]
सचिव
Secretary
Public Rose Siksha Samiti
Hantra (Bharatpur)

[illegible]
कोषाध्यक्ष

रजि0नं0 128 / भरत / 2007-08

पब्लिक रोज शिक्षा समिति, हन्तरा (नदबई)

संस्था के समस्त साधारण सदस्यों की सूची :

क्र. स.	नाम, पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	हस्ता0
1.	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री संतोष चौधरी	अध्यापन	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	प्रेमलता
2.	श्री घनश्याम सैनी पुत्र श्री मनोहर लाल	प्राई0नौकरी	18 / 502 लखंडा बाला कुआ अलवर	घनश्याम
3.	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री द्वारिकाप्रसाद	जीएनएम	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	[signature]
4.	श्री गरदन सिंह पुत्र श्री रामखिलाडी	शिक्षाविद्	ब्राह्मण थोक बढा उटारदा नदबई	गरदनसिंह
5.	श्री नवरत्नसिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मण रावत	प्राई0 नौकरी	5 क 101 शिवाजी पार्क अलवर	N Singh
6.	श्रीमती राजवती पत्नी श्री सुरेन्द्र गोपालिया	नौकरी	2 / 255 हा0बो0 जवाहर नगर भरतपुर	राजवती
7.	श्रीमती रिया कुमारी पत्नी श्री कालीचरण	शिक्षाविद्	केसरजिया थोक बढा नदबई, भरतपुर	रिया
8.	श्रीमती रजनी पत्नी श्री बलदेव	गृहणी	राजाखेडा धौलपुर	रजनी
9.	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री नवरत्न सिंह	गृहणी	शिवाजी पार्क अलवर	शकुन्तला
10.	श्री भगवानसिंह कोली पुत्र श्री मनोहरी कोली	कृषिकार्य	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	भगवान सिंह
11.	श्रीमती ममता मिश्रा उर्फ ममता शर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार शर्मा	शिक्षाविद्	तॉबे की टौरी करौली राज0	[signature]
12.	खेमसिंह पुत्र श्री हरिसिंह	शिक्षाविद्	मीना कॉलोनी मुखेना भूतोली वैर, भरतपुर	Kamal [signature]
13.	सितारा बानो पत्नी श्री ईशब खान	गृहणी	ग्रा0 अरौंदा हन्तरा तह0 नदबई भरतपुर	सितारा
14.	किरनदेई पत्नी श्री नारायन सिंह	समाजसेवा	ग्रा0 अरौंदा हन्तरा तह0 नदबई भरतपुर	किरनदेई
15.	नेहा पुत्री श्री जगमाल सिंह	अध्यापन	शिवाजी पार्क अलवर	Neha
16.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री दलगंजी	समाजसेवा	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	राकेश कुमार
17.	श्री ईशबखॉन पुत्र श्री हीरालाल	समाजसेववा	ग्रा0 अरौंदा तह0 नदबई भरतपुर	[signature]
18.	श्री सत्यजीत सिंह पुत्र श्री नवरत्न सिंह	समाजसेवा	शिवाजी पार्क अलवर	सत्यजीत
19.	श्री मलखान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मन सिंह	समाज सेवा	विजबारी तह0 वैर जिला भरतपुर	मलखानसिंह
20.	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री द्वारिकाप्रसाद	गृहणी	ग्रा0 हन्तरा तह0 नदबई ,भरतपुर	शान्तीदेवी
21.	श्री साहब सिंह पुत्र श्री परशुराम	समाजसेवा	ग्रा0 हन्तरा तह0 नदबई ,भरतपुर	साहबसिंह

प्रेमलता
अध्यक्ष
पब्लिक रोज शिक्षा समिति
हन्तरा (भरतपुर)

[signature]
Secretary
सचिव
Public Rose Shiksha Samiti
Hantra (Bharatpur)

N Singh
कोषाध्यक्ष

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार संस्थायें सहकारी समितियां, भरतपुर (राज0)।

क्रमांक : 465

दिनांक : 24-7-2018

(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 एवं 4--क के अंतर्गत)

नोटिस

अध्यक्ष / सचिव
पब्लिक शिक्षा समिति
हन्तरा
....

आपका ध्यान श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितिया, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक सावेरा/रजि0/मिस./2/59/पार्ट–3 दिनांक 9.4.2012 राजस्थान पत्रिका दिनांक 12.4.2012 में प्रकाशित विज्ञप्ति सार्वजनिक सूचना की ओर आकर्षित कर जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 के अनुसार उक्त अधिनियमान्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक संस्था के लिए प्रत्येक वर्ष में एक बार वार्षिक साधारण अधिवेशन की सूचना 14 दिवस के भीतर संस्था के सौंपे गये काम काज के प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो सम्बन्धित पदाधिकारियों/सदस्यों के नाम व पते और उपजीविकाएं अंकित हों, की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 4–क के अंतर्गत धारा 4 में वर्णित सूची के साथ ही संस्था के सदस्य/पदाधिकारियों एवं विधान/नियमावली में उसमें किये हुए परिवर्तनों के विवरण संस्था के 3 पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित हो, भी रजिस्ट्रार संस्थायें को 15 दिवस के भीतर प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 4–ख के अनुसार यदि किसी संस्था का अध्यक्ष, सचिव या अन्य प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो कि अधिनियम की धारा 4 एवं 4–क की पालना किये जाने के लिए दायित्वाधीन है, उक्त धारा 4 एवं 4–क के उपबन्धों के अंतर्गत रजिस्ट्रार संस्थायें को सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह दोष सिद्ध होने पर 500/–रू0 तक के आर्थिक दण्ड का भागीदार हो सकेगा और ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात प्रति दिन 50/–रू0 अनधिक आर्थिक दण्ड अधिरोपित किये जाने के भी प्रावधान हैं।

इसी प्रकार उक्त धारा 4–ख की उप धारा 2 के अनुसार यदि कोई संस्था की ओर से सूचनाओं सम्बन्धी विवरण में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है तो 2000/–रू0 तक के अर्थ दण्ड के लिए दण्डनीय है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी संस्था में सम्बन्धित उक्त अधिनियमान्तर्गत वांछित सूचनाऐं वर्ष 2015-16 तक की एवं संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा प्रति वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्तानुसार सूचना प्रस्तुत करना भविष्य में सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिनियम की धारा 4–ग के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सूचित हो।

यह नोटिस आज दिनांक 24-7-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें
भरतपुर।

रजि0न0 128/भरत/2007–08

पब्लिक रोज शिक्षा समिति, हन्तरा (नदबई)

साधारण सभा दिनांक 25/05/18 को कार्यकारिणी का निर्वाचन कर निम्न प्रकार नवीन कार्यकारिणी गठन किया गया :–

क्र स.	नाम, पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री संतोष चौधरी	अध्यापन	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	अध्यक्ष
2.	श्री घनश्याम सैनी पुत्र श्री मनोहर लाल	प्राई0नौकरी	18/502 लखंडा बाला कूआ अलवर	उपाध्यक्ष
3.	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री द्वारिकाप्रसाद	जीएनएम	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	मंत्री
4.	श्री सत्यजीत सिंह पुत्र श्री नवरत्न सिंह	समाजसेवा	शिवाजी पार्क अलवर	उपमंत्री
5.	श्री नवरत्नसिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मण रावत	प्राई0 नौकरी	5 क 101 शिवाजी पार्क अलवर	कोषाध्यक्ष
6.	श्रीमती राजवती पत्नी श्री सुरेन्द्र गोपालिया	नौकरी	2/255 हा0बो0 जवाहर नगर भरतपुर	सदस्य
7.	श्री गिर्राज सैनी पुत्र श्री रामजीलाल	प्राई0 नौकरी	स्कीम–2 लाजपतनगर भगतसिंह चौराहा अलवर	सदस्य
8.	श्रीमती रजनी पत्नी श्री वलदेव	अध्यापन	राजाखेडा धौलपुर	सदस्य
9.	श्री तेजसिंह पुत्र श्री करणसिंह	समाजसेवा	जाट मौहल्ला नैवाडी नैवाडा ,भरतपुर	सदस्य
10.	श्री भगवानसिंह कोली पुत्र श्री मनोहरी कोली	कृषिकार्य	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	सदस्य
11.	श्री पन्नासिंह पुत्र श्री करनसिंह	अध्यापन	ग्रा0 नैवाडी पो0 नैवाडा तह0 वैर ,भरतपुर	सदस्य
12.	छात्र प्रतिनिधि मनोनीत पदेन			सदस्य
13.	अभिभावक प्रतिनिधि मनोनीत पदेन			सदस्य
14.	स्टाफ प्रतिनिधि मनोनीत पदेन			सदस्य
15.	विभागीय प्रतिनिधि मनोनीत पदेन			सदस्य

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के तहत संस्था कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत [illegible] पत्र के आधार पर कार्यकारिणी की सूची कायम की गई।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
भरतपुर (राज0)

D.P. [signature]
हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी

प्रेमलता
अध्यक्ष

मंत्री/सचिव

N Singh
कोषाध्यक्ष

रजि0नं0 128 / भरत / 2007–08

पब्लिक रोज शिक्षा समिति, हन्तरा (नदबई)

तुलनात्मक विवरण पत्र

क्र. स.	विधान की धारा सं0	पंजीकृत विधान नियम	विधान संशोधित नया नियम
1.	3	पूर्व पंजीकृत विधान में अंकित उद्देश्य यथावत रहेंगे।	पूर्व पंजीकृत विधान में अंकित उद्देश्यों के अलावा निम्न लिखित उद्देश्यों को और शामिल किया गया :–

1 जाति वंश या धर्म का कोई भी भेदभाव किये विना हर उम्र के वयस्क और बच्चों के आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य विकास की अभिवृद्धि और उत्थान के लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय, महा विद्यालय, प्रशिक्षण केंन्द्रों का संचालन करना एवं एस0टी0सी0 बी0एड0 व अन्य तकनीकी, गैर तकनीकी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

2. शिक्षित बेरोजगारों को उनकी शिक्षा के मुताबिक रोजगार हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम संचालित करना तथा शैक्षणिक, व्यवसायिक, निजी व सरकारी रोजगार हेतु उचित मार्गदर्शन ~~तथा कोचिंग आदि की व्यवस्था करना। पुस्तकों का संकलन, प्रकाशन व वितरण कार्य करना~~ देना।

3. वैधानिक अधिकारों से जागरूक करने हेतु आवश्यक स्थानों पर विधिक सहायता कैम्प, शिविरों का आयोजन करना। आम जनता और जनहित के लिए अधिकारों की सुरक्षा हेतु समय समयपर जब सोसायटी उचित समझे, सक्षम न्यायालय में मामला ले जाना।

4. आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को सुद्रण करने एवं महिलाओं को समूहों के माध्यम से ऋण दिलाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार सुविधा उपलब्ध कराना।

5. महिलाओं पर अत्याचार, प्रताडता, दुरूव्यवहार रोकने हेतु तथा दहेज एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु महिला केंन्द्रों का संचालन करना।

6. क्षेत्र के लोगो को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना, तथा विभिन्न बीमारियों की रोकथाम व वचाव हेतु जानकारी, इलाज की सुविधा करना बीमारियों की जॉच करना, तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना मैडीकल कैम्प एवं शिविरों का आयोजन करना, सस्ती व उचित दर पर एवं निशुल्क दबा उपलब्ध करवाना, जरूरतबन्दों को ब्लड उपलब्ध करवाना ,तथा लोगों को ब्लड डोनेड करने हेतु जागरूक करना, ब्लड बैंक खोलना तथा धर्मार्थ हॉस्पीटल संचालितत करना।

7. आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछले वर्ग के लोगों महिलाओं बच्चों को शैक्षिक, शारीरिक केन्द्रों की स्थापना करना एवं सामुहिक विवाह समारोह आयोजन करना।

8. शहरी व ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चलाना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण एवं प्रबन्धन, वन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, डेयरी विकास, स्वच्छता कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, बृक्षारोपण कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन जनसंख्या नियंत्रण एवं एड्स सुरक्षा कार्यक्रम आदि।

9. युवा खेद कूद, युवा सशक्तीकरण व विकास सम्बन्धित, यातायात परिवार, एड्स, स्वरोजगार, जेण्डर , महिला व शिशु स्वास्थ्य, स्तनपान, पोषाहार, टीकाकरण, स्वच्छता वाल विवाह, महिला अधिकार, दहेज उन्मूलन, नशाबन्दी, जल संरक्षण, बुनकर आदि विभिन्न विषयों पर कार्यशालाऐं परियोजनायें, प्रचार प्रसार प्रशिक्षण संदर्भ सामग्री निर्माण व जागरूकता सम्बन्धित कार्य करना।

10. लधु उद्यमी एवं दस्तकारों के उत्पादनों का संरक्षण व विकास करना एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण देना व विभिन्न परियोजनाओं से जोडना।

11. बृद्ध महिलाओ, पुरूषों, विधवा एवं अनाथों को आश्रम तथा स्वास्थ्य सेवाऐं तथा निःशक्तों को निःशुल्क उपकरण, शिक्षण, आवास गश्ह सेवाऐं देना। किसी भी जरूरतमंद अविवाहित लडकी या लडके, विधवा या विधुर के जीवन के उत्थान के लिए सामाजिक, नैतिक व वित्तीय सहायता देना।

12. स्थानीय समूह जैसे महिला मण्डल, युवामण्डल, क्लब समूह, कश्षक क्लवों का गठन कर महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाना तथा क्लवों के सदस्यों को नई तकनीकी प्रदान कर लाभ पहुंचाना व समुदाय के विकास के लिए प्रबन्धीकरण तथा निर्णय क्षमता के क्रिया कलापों को संचालित करना तथा शारीरिक खेलों की प्रतियोगताओं और शैक्षिक प्रतियोगताओं को पुरूष्कार देना, जरूरतमंदों के लिए छात्रवशतियां प्रदान करना, निर्धन जरूरतमंद बच्चों या व्यक्तियों के उत्थान के लिए साधन जुटाना और नैतिक अनुशासन पैदा करना।

13. बेरोजगार युवक–युवतियों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकाश्त एवं संचालित समस्त प्रकार के प्रशिक्षणों एवं योजनाओं द्वारा लाभान्वित करना तथा रोजगार उपलब्ध कराना, आम लोगों, बेरोजगार युवाओं के उपयोग और सुविधा के लिए पुस्तकालयों, वाचनालयों व कम्प्युटर लैव स्थापित करना एवं खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

14. महिलाओं हेतु परिवार कल्याण , महिला शिक्षण, महिला स्वास्थ्य एवं महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना।

15. सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत सफाई अभियान चला कर गॉव एवं शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास करना लोगों को स्वच्छता बनाये रखने हेतु प्रेरित करना तथा कचरा रिसाईक्लिन हेतु आवश्यक कार्य करना।

16. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण ले सकेगी।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्रमाणित करते हैं

प्रेमलता

विधान संशोधन पंजीकृत

दिनांक............

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
भरतपुर (राज०)

रजि0न0 128/भरत/2007—08

पब्लिक रोज शिक्षा समिति, हन्तरा (नदबई)

संस्था के समस्त साधारण सदस्यों की सूची :

क्र. स.	नाम, पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	हस्ता0
1.	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री संतोष चौधरी	अध्यापन	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	प्रेमलता
2.	श्री घनश्याम सैनी पुत्र श्री मनोहर लाल	प्राई0नौकरी	18/502 लखंडा बाला कूआ अलवर	[illegible]
3.	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री द्वारिकाप्रसाद	जीएनएम	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	[illegible]
4.	श्री तेजसिंह पुत्र श्री करणसिंह	समाजसेवा	जाट मौहल्ला नैवाडी नैवाडा ,भरतपुर	[illegible]
5.	श्री नवरत्नसिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मण रावत	प्राई0 नौकरी	5 क 101 शिवाजी पार्क अलवर	NSingh
6.	श्रीमती राजवती पत्नी श्री सुरेन्द्र गोपालिया	नौकरी	2/255 हा0बो0 जवाहर नगर भरतपुर	[illegible]
7.	श्री गिर्राज सैनी पुत्र श्री रामजीलाल	प्राई0 नौकरी	स्कीम—2 लाजपतनगर भगतसिंह चौराहा अलवर	[illegible]
8.	श्रीमती रजनी पत्नी श्री वलदेव	गृहणी	राजाखेडा धौलपुर	रजनी
9.	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री नवरत्न सिंह	गृहणी	शिवाजी पार्क अलवर	शकुन्तला
10.	श्री भगवानसिंह कोली पुत्र श्री मनोहरी कोली	कृषिकार्य	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	भगवानसिंह
11.	श्री पन्नासिंह पुत्र श्री करनसिंह	अध्यापन	ग्रा0 नैवाडी पो0 नैवाडा तह0 वैर ,भरतपुर	[illegible]
12.	श्री विजयसिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह	कृषि	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	विजय सिंह
13.	श्री विजयसिंह पुत्र श्री कुन्दनसिंह	कृषि	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	Vijay
14.	श्री केहरीसिंह पुत्र श्री रामजीलाल	कृषि	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	केहरीसिंह
15.	नेहा पुत्री श्री जगमाल सिंह	अध्यापन	शिवाजी पार्क अलवर	Neha
16.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री दलगंजी	समाजसेवा	ग्रा0 पो0 हन्तरा तह0 नदबई	राकेश कुमार
17.	श्री ईशवखॉन पुत्र श्री हीरालाल	समाजसेववा	ग्रा0 अरौंदा तह0 नदबई भरतपुर	[illegible]
18.	श्री सत्यजीत सिंह पुत्र श्री नवरत्न सिंह	समाजसेवा	शिवाजी पार्क अलवर	सत्यजीत
19.	श्री मलखान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मन सिंह	समाज सेवा	विजबारी तह0 वैर जिला भरतपुर	मलखान सिंह
20.	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री द्वारिकाप्रसाद	गृहणी	ग्रा0 हन्तरा तह0 नदबई ,भरतपुर	शान्ती देवी
21.	श्री साहब सिंह पुत्र श्री परशुराम	समाजसेवा	ग्रा0 हन्तरा तह0 नदबई ,भरतपुर	साहब सिंह

प्रेमलता
अध्यक्ष

मंत्री/सचिव

NSingh
कोषाध्यक्ष

शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ 4 (कॉ 18) आकाशि/अनु/09/4056 दिनांक 2 जुलाई, 2009

आदेश

सत्र 2009--10 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है--

क्र. सं.	पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	co 18	सचिव, पब्लिक रोज शिक्षा समिति, हन्तरा--भरतपुर	डी0 पी0 एम0 महाविद्यालय, सरसैना--वैर (भरतपुर)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – हिन्दी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, ड्राईंग एवं पेंटिंग ।

1. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता--पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी ।
3. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तद्नुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी ।
5. संस्था को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भूमि एवं भवन तथा स्टाफ को उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे ।
6. महाविद्यालय के लिए निर्धारित भूमि--भवन में अन्य किसी शिक्षण संस्था का संचालन नहीं किया जा सकेगा ।
7. संस्था को 30 सितम्बर, 2009 तक योग्यताधारी प्राचार्य, व्याख्याता तथा अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय के अनुमोदन सहित आयुक्तालय को सूचित करना होगा।
8. संस्था/ महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा बार कोंसिल द्वारा समय--समय पर जारी विनियमों/ दिशा--निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नही होगा ।

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Email- affiliation_btp@msbrijuniversity.ac.in Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक प.3(26)/मसूबृवि/अकाद–II/2023/1573

दिनांक 09/01/2024

सशर्त अस्थायी सम्बद्धता आदेश (2023–24)

प्राचार्य/सचिव,
डी.पी.एम. कॉलेज,
सरसैना, वैर, भरतपुर।

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना मे निम्नांकित स्नातक/स्नातकोत्तर/शिक्षा महाविद्यालय की सम्बद्धता आवेदन पर विचार किया गया। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना मे सत्र 2023–24 की राज्य सरकार की NOC जारी होने के आधार पर एवं निरीक्षण दल द्वारा भौतिक निरीक्षण कर प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित कमियों की आप द्वारा शपथ पत्र में बयान समयावधि में आक्षेपपूर्ति किए जाने की शर्त पर सत्र 2023–24 हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर/बी.एड. स्तर पर नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों में सशर्त अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि की जा रही है।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय का विवरण

1	2	3	4	5	6
क्र. स.	कोड	महाविद्यालय नाम	संकाय	आवेदित सीट	आक्षेप
1.	117	डी.पी.एम. कॉलेज, सरसैना, वैर, भरतपुर।	**स्नातक कला संकाय** – अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, चित्रकला, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन **स्नातक विज्ञान संकाय** – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित जीवविज्ञान, वनस्पति शास्त्र **स्नातकोत्तर स्तर पर** – भूगोल चित्रकला **बी.ए. बी.एड./बी.एससी.बी.एड**	420 180 60 12 100	1. भवन की जमीन का विभाजन महाविद्यालय के अनुसार उपलब्ध नही हैं। 2. महाविद्यालय द्वारा भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। 3. नक्शे का ब्ल्यू प्रिंट PWD सह–अभियन्ता द्वारा प्रमाणित नही है।

अकादमिक काउन्सिल की 18.11.15 की बैठक व 03.03.2020 की BOI की बैठक के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर शास्ति (Penalties) आरोपित की जायेंगी।

महाविद्यालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे स्वीकृत की गई सीटों से अधिक पर छात्रों को प्रवेश नहीं दें। अधिक छात्रों को प्रवेश दिये जाने पर उन्हें स्वयंपाठी घोषित कर दिया जायेगा तथा महाविद्यालय पर सम्बद्धता–निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

कुलसचिव

क्रमांक / [illegible] /1573

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- दिनांक 09/01/2024

1. [illegible]
2. [illegible] नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. [illegible] नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. समस्त संबंधित महाविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव